



संख्या- 11/2020/519/77-1-2020-02(बजट)/2015टीसी

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ०प्र०, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2020

विषय:- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) लखनऊ संस्थान के रख-रखाव हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु अवशेष धनराशि ₹०-5.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 में जारी निर्देशों के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ संस्थान के रख-रखाव हेतु व्यय के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹०-10,00,000.00 (₹० दस लाख मात्र) के सापेक्ष व्यय हेतु 50 प्रतिशत ₹०-5,00,000.00 (₹० पांच लाख मात्र) शासनादेश संख्या- 5/2020/223/77-1-2020-02(बजट)/2015, दिनांक 05.05.2020 द्वारा जारी की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि ₹०-5,00,000.00 (₹० पांच लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार इस शर्त के साथ आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं कि इस धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा:-

क्रमांक	मानक मद	प्रयोजन	बजट प्रावधान (₹०)	व्यय हेतु निर्गत धनराशि (₹०)	अवशेष निर्गत धनराशि (₹०)
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	रख-रखाव संचालन आदि	10,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00
		योग:	10,00,000.00	5,00,000.00	5,00,000.00

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि के सदुपयोग की सूचना शासन के वित्त विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जाएगा।

3- उपर्युक्त व्यय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक- "2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-18-इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग उ०प्र० (इटप)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नहीं है।क्षर की आवश्यक पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग, उ०प्र० शासन के अशासकीय पत्र संख्या- ई६-७७०/दस-२०२०, दिनांक १९.११.२०२० के अन्तर्गत उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव।

संख्या- ११/२०२०/५१९(१)/७७-१-२०२०, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) (प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ०प्र०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त व्यवस्थित धनराशि सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 4- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनुभाग-१, उ०प्र० शासन को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायें।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्त (आय-व्ययक) अनु०-१, उ०प्र० शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- १/२०२०/बी-१-१४९/दस-२०२०-२३१/२०२०, दिनांक २४.०३.२०२० द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सेन्ट्रल सर्वर पर डलवाने का कष्ट करें तथा यूजर नेम व पासवर्ड आबंटित कर शासन तथा महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), कानपुर रोड, अमौसी, लखनऊ को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि आबंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- 7- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), कानपुर रोड, अमौसी, लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु०-१, उ०प्र० शासन को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१/२/४, उ०प्र० शासन।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-६, उ०प्र० शासन।
- 10- नियोजन अनुभाग-४, उ०प्र० शासन।
- 11- औद्योगिक विकास अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

अनुसचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नहीं है। क्षर की आवश्यक पर हस्ता :अत ,
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।